



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र/18, Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग/Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली-110016/ New Delhi-110016.
फोन नं./Phone no. : 26561153, 26858570,
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.110230(विविध)डॉ02024/के.वि.सं.(मु.)/पं. 8036

दिनांक: 28.04.2026

1. प्रबंधक (संस्था.)

भारतीय स्टेट बैंक,
मुख्य शाखा (चौथी मंजिल)
संसद मार्ग, नई दिल्ली

2. प्रबंधक,

इंडियन बैंक,
सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर,
टी. नगर बिल्डिंग, द्वितीय तल,
न.7, प्रकसम सलाई, टी-नगर,
चेन्नई- 600017

विषय: दिनांक 01.01.2026 से परिशोधित महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत के लिए दरों के पुनर्निरीक्षण के संबंध में कार्यालय जापन संख्या फ.42/02/2024-P&PW(D)/E-9475 dated 24.04.2026 द्वारा महंगाई राहत को दिनांक 01.01.2026 से 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यालय जापन के अनुसार 01 जनवरी 2026 से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी पेंशनरों /पारिवारिक को परिशोधित महंगाई भत्ता, बकाया राशि के साथ, जारी करें ।

भवदीय,

(संजय कुमार)
उपायुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:

1. सहायक आयुक्त (आईटी सेल), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली- यह पत्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट में 'घोषणा' के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
2. सहायक आयुक्त (वित्त) बजट, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली- सूचनार्थ।

(संजय कुमार)
उपायुक्त (वित्त)